तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एलआर / 6424 / 2022 / सीकर** **महेन्द्र चौधरी बनाम भागोती देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी की ओर से

(2) श्री हेमराज गुप्ता, अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 14–07–2023

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–07–2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्यानुसार उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अप्रार्थी संख्या 34 तहसीलदार को पक्षकार संयोजित करते हुए बाबत् पत्थरगढ़ी किए जाने का एक आवेदन निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के संबंध में प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–06–2021 को दर्ज किया एवं मौजूद अप्रार्थी तहसीलदार को नोटिस जारी किए गए एवं अप्रार्थी तहसीलदार ने प्रार्थनापत्र पर अपनी अनापत्ति जाहिर की एवं न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29–06–2021 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण की ओर से अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 13–09–2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे वादग्रस्त आराजी से प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। न्यायालय द्वारा दिनांक 03–11–2021 को प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। दौराने विचाराधीन प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान प्रार्थी की ओर से एक आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का दिनांक 17–11–2021 को प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27–07–2022 द्वारा खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर हस्तगत निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– अभिभाषकगण उभयपक्ष की निगरानी पर बहस सुनी गयी।

4– अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29–06–2021 को सभी पक्षकारों को समुचित सुनवाई का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एलआर / 6424 / 2022 / सीकर** **महेन्द्र चौधरी बनाम भागोती देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अवसर दिए बिना अर्थात प्रभावित पक्षकारों को पक्षकार कायम किए बिना प्रार्थनापत्र को स्वीकार आराजी खसरा नं0 2106 रकबा 0.35 है0 बाबत् पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश प्रदान कर दिए गए जिसके विरूद्ध अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा तहत न्यायालय को दिशा निर्देशों के साथ प्रकरण को पुनः निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा तहत न्यायालय को स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किए गए कि वे प्रकरण से संबंधित सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निस्तारण करें। प्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपने को प्रभावित पक्षकार नहीं बनाए जाने का आदेश प्रदान कर दिया गया जो कि उच्चतर न्यायालय द्वारा पारित आदेश की न्यायालय द्वारा अवहेलना कारित करना है। उनका तर्क है कि अप्रार्थी संख्या 1 आवेदक का आराजी खसरा नं0 2106 पर ना तो कभी कब्जा रहा एवं ना ही वर्तमान में है, केवल पत्थरगढ़ी की आड़ में उक्त आराजी पर अवैध तरीके से कब्जा करना चाहती हैं। उक्त तथ्य प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाए जाने के आदेश पारित कर त्रुटि कारित की है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड आदेश की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया गया एवं प्रार्थी के अलावा शेष सभी अप्रार्थीगण को पक्षकार संयोजित कर सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए लेकिन प्रार्थी को न्यायालय द्वारा पक्षकार मुकर्रर नहीं किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र की जानकारी प्रार्थी को प्राप्त होने के कारण प्रार्थी स्वयं द्वारा अपनी सुनवाई हेतु पक्षकार संयोजित किए जाने हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 में दिए गए प्रावधानों के तहत न्यायालय को ऐसे व्यक्ति को पक्षकार संयोजित करना चाहिए जिसका वाद की विषय वस्तु में हित निहित हो एवं जिसको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो ऐसे व्यक्ति को अपूरणीय क्षति हो सकती है एवं जिसकी सुनवाई किया जाना आवश्यक है। किन्तु उक्त कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज कर प्रार्थी प्रभावित पक्षकार होने के बावजूद भी पक्षकार संयोजित नहीं करने का आदेश पारित कर त्रुटि कारित की है। अंत में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–07–2022 को निरस्त कर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया। 5– इसके विपरीत अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानीधीन आदेश को उचित व कानून सम्मत बताते हुए तर्क दिया कि चूँकि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एलआर / 6424 / 2022 / सीकर** **महेन्द्र चौधरी बनाम भागोती देवी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्षकारान के मध्य वाद अधिकारों की घोषणा व बंटवारा से सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे प्रकरणों का निस्तारण मैरिट पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारान को सुलभ न्याय मिल सके। ऐसी स्थिति में विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उचित बताते हुए निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया। 6— हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। निगरानीधीन आदेश का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर के आदेश दिनांक 27—07—2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें आदेश 1 नियम 10 में महेन्द्र चौधरी बनाम भागोत देवी में आवश्यक पक्षकार बनाए जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार महेन्द्र चौधरी किसी भी जमाबंदी में खातेदार अंकित नहीं है। अतः विद्वान उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 27—07—2022 में पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत है, उसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते है। निगरानी इसी निर्देश के साथ निर्णित की जाती है। तहत का रिकॉर्ड संबंधित न्यायालय में भेजा जाए। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	